

दिनांक 26.12.2019 को दोपहर: 01:30 बजे श्री आर.एस. वर्मा, भा0प्र0से0, उपायुक्त रोहतक की अध्यक्षता में NGT के आदेश दिनांक 06.03.2019 की अनुपालना हेतु/जिला स्तरीय निगरानी समिति, रोहतक की पन्द्रहवी बैठक की कार्रवाई रिपोर्ट


बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री महेश कुमार, नगराधीश, रोहतक।
2. श्री राकेश कुमार, उपमण्डल अधिकारी (सिविल)-कम-संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।
3. श्री कृष्ण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बहादुरगढ़।
4. श्री रणजीत सिंह, कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
5. श्रीमती सुमन लता, कुमार, सचिव, नगर पालिका, कलानौर।
6. श्री आशिष कुमार, सचिव, सांपला।
7. श्री निजेश कुमार, नगर अभियन्ता, महम।

बैठक में सभी का स्वागत करते हुए दिनांक 20.12.2019 की बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना की प्रगति की समीक्षा की गई:-

1. बैठक में अध्यक्ष महोदय को सूचित किया गया कि माननीय NGT व Waste Management Rules की पालना के लिए पहले निम्नलिखित चौदह बैठक आयोजित की जा चुकी है:-
 1. दिनांक 12.04.2019
 2. दिनांक 29.04.2019
 3. दिनांक 09.05.2019
 4. दिनांक 28.05.2019
 5. दिनांक 18.06.2019
 6. दिनांक 08.07.2019
 7. दिनांक 26.07.2019
 8. दिनांक 05.08.2019
 9. दिनांक 21.08.2019
 10. दिनांक 20.11.2019
 11. दिनांक 20.11.2019
 12. दिनांक 20.11.2019
 13. दिनांक 19.12.2019
 14. दिनांक 20.12.2019
2. दिनांक 20.12.2019 की बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना में उपायुक्त, रोहतक ने समीक्षा के दौरान निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए:-
 1. जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक सुनिश्चित करें कि उनके विद्यालयों में विद्यार्थियों को Dry Waste/Wet Waste, Plastic Waste, E-Waste की सम्पूर्ण जानकारी, उनकी अपने घरों व विद्यालयों में पालना हो। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को उनके घरों के प्लास्टिक वेस्ट/ई-वेस्ट को विद्यालयों में जमा करवाने व उसे Recycler को देना सुनिश्चित करें। इसकी प्रति सप्ताह रिपोर्ट उपायुक्त, रोहतक को प्रस्तुत की जानी थी, परन्तु रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। अतः विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 31.12.2019 तक उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गए।
 2. सचिव नगर पालिका सांपला, कलानौर व महम माननीय NGT के आदेशों की पालना सुनिश्चित करते हुए समीक्षा की गई तथा दिनांक 31.12.2019 तक विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित होने के लिए सभी अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।


उपायुक्त
रोहतक।

पृ० क्रमांक 14-40 / LFA

?

दिनांक 1/1/2020

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को भेजते हुए लिखा जाता है कि मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार व NGT द्वारा इनकी नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। अतः इसे गम्भीरता से लेते हुए दिए गए निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें:-

1. महापौर, नगर निगम रोहतक।
2. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
3. आयुक्त, नगर निगम रोहतक।
4. नगराधीश, रोहतक।
5. सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
6. रजिस्ट्रार, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
7. रजिस्ट्रार, PGIMS, रोहतक।
8. CMO, रोहतक।
9. क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण कन्ट्रोल बोर्ड, बहादुरगढ़।
10. डा० सुखबीर, Dy. M.S., PGIMS, रोहतक।
11. अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
12. अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) रोहतक।
13. अधीक्षक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, रोहतक।
14. GM, हरियाणा परिवहन विभाग, रोहतक।
15. GM, HSIIDC, Rohtak.
16. जिला नगर योजनाकार, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग, रोहतक।
17. कार्यकारी अभियन्ता, डिविजन न. 1, 2 व 3, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
18. कार्यकारी अभियन्ता, डिविजन न. 1, 2 व 3, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) रोहतक।
19. कार्यकारी अभियन्ता, HSAMB, Rohtak.
20. कार्यकारी अभियन्ता (मुख्यालय), नगर निगम रोहतक।
21. कार्यकारी अभियन्ता - I & II, नगर निगम रोहतक।
22. जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक।
23. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, रोहतक।
24. सचिव, नगर पालिका, महम, कलानौर व सांपला।
25. प्रधान, नगर पालिका, महम, कलानौर व सांपला।
26. सचिव, मार्केट कमेटी, रोहतक।

7

उपायुक्त,
रोहतक।

दिनांक 1/1/2020

पृ० क्रमांक 41-49 / फ-133 / LFA

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) चण्डीगढ़।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, चण्डीगढ़।
3. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला।
4. मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला।
5. मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला।
6. महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला।
7. जिला एवम् सत्र न्यायाधीश, रोहतक।
8. पुलिस अधीक्षक, रोहतक।

उपायुक्त,
रोहतक।